


## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, धौलपुर


### कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक- शिविरा/माध्य/सस्था/एफ-1/12102/शाशि बेंड-111/सी न/ यो-1 /2017-16 /दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी बचन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक डेड 111 मर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र(दबद जेचद के पदो हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता प्राप्त निम्नलिखित सूची में आवंटित आशाचिंयो को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक डेड 111 को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान )विधम 2017 के अनुसार वेतन लेवल -10 में प्रोबेशनर ट्रेनी ( परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रुपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक डेड 111 के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Cat.	Address	Posting place	Block	Candidate photo
1	2690	504016	HITENDRA SINGH ROTRAWAL	MAHESH CHAND VERMA	01-Oct-95	OBC	VPO SOMALA TEH.HINDON CITY - CITY SOMALA PIN-322252 KARAUJI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SARMATHURA BASERI DHOLPUR RAJ (217507).	BASERI	

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति असादीयी वेतन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक-प.17(9)शिक्षा-2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 में बर्णित दिशा निर्देशानुसार दिनांक 07.12.2019 को आयोजित परामर्श शिविर में पदस्थापन कर संबंधित सस्थाप्रधान को आदेशित किया जा रहा है कि इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे-

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अम्पथी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सक्की सदाचरण रिपोर्ट एवं स्वाम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनको अभाव में किसी भी अम्पथी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करावाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवागत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
  - नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अम्पथी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके परशात उत्पन्न सतानों के फलस्वरूप कुल सतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सक्की अभाव का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/-रुपये को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
  - विवाहित अम्पथियों को मामले में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजियन अनिवार्य करने सक्की प्राक्कान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधि आशय का 50/- रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
  - परीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीक्षण ट्रेनी)की अवधि में फिक्स रेगुलेशन को अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार को भले यथा महंगाई भत्ता,प्रकाश किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन(डीपी),विशेष वेतन,वेतन आदि देय नहीं होगा।
  - परीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीक्षण ट्रेनी)की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि को लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
  - परीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रावीक्षण ट्रेनी)की अवधि में इन्हे कलण्डर वर्ष में केवल 15 दिना का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(कल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(कल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेगुलेशन से नवीन पैन्शन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्जित शैक्षिक/प्रशिक्षक आनु जाति आस्था सक्की व अन्य आवश्यक पत्रों की मूल प्रमाण पत्र की प्रति से मिलान कर उसकी एक-एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें कोई गिनता / सदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करते हुये अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे।
  - जो अम्पथी बी.पी.डी(तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशिक्षक योग्यता अर्जित करते है उनको एन.सी.टी.ई से मान्यता नहीं होने के नियुक्ति को पत्र नहीं माने गये है। यदि कोई अम्पथी उक्त योग्यतावारी है तो संबंधित को कार्यग्रहण न कराया जाकर मूल आवेदन पत्र टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
  - यदि किसी अम्पथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकुद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकुद प्रमाण पत्र पर सम्बंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि किये जाने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने को उपरान्त ही उन्हे कार्यग्रहण करावाया जावे।
  - अन्य विप्रेक्षा वर्ग को स्वाम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम गान्य प्रमाणपत्र वित्त की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये महिला आवेदक को मामले में यदि पति को नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र साथ नहीं है परन्तु अम्पथी अपने पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के परशात बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही गान्य होगा। यह सुनिश्चित करने के परशात ही कार्यग्रहण करावे। विपरीत परिस्थिति में इस कार्यालय को अग्रगत करावे।
  - कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अम्पथी का मूल आवेदन पत्र पर चरम फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो चरम है।
  - संबंधित अम्पथियों को नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञापित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक डेड-111 मर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय व्यायालय में दायर विभिन्न चर्चिकाओं के निर्णय के अन्वयान् रहने।
  - कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अम्पथी वे यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है। इनकी वृद्धिपूर्व जाली, अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विधान स्वतंत्र होगा।
  - कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अम्पथी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार सूत्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनकस्ता (न्यकमतजावदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
  - संबंधित अम्पथियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आस्था सक्की समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से करे।




श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रक- विविदा/सम्ब/संस्था/एक-1/12102/शाशि घेड-111/सीप/घे-1/2017-18/दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक घेड 111 सीटी परीक्षा 2018 के परद हेतु पर अनुसूचित क्षेत्र/देवद जेघद के परदो हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रारम्भिक योग्यता प्राप्त विम्बुक्ति सूची में आवंटित आरक्षितों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक घेड 111 को राजस्थान विविदा सेवा (तुरन्तकित वेतन मान )नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल -10 में प्रोबेशनर ट्रेनी ( परिदीक्षणीय प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रुपये/मास विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित परन्वधान स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक घेड 111 के रिक्त परद पर परद स्थापित किया जाता है।

16. कार्यप्रणाली बनाने से पूर्व संबंधित अर्थात् से शारीरिक विद्यान को उचित सूचना अन्वयक २.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.02.2013 के अनुसार सुझान/मरदान एव गुटका सेवन नही करने संबंधी चयनबोर्ड(बन्कनाजापरद) विचारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

17. राज्य से बाहर की प्रयुक्त शैक्षिक/प्रारम्भिक योग्यता वाले अर्थात् से अतिरिक्त पात्र उपरोक्त अर्थात् से की नियुक्ति पर कार्यप्रणाली की अंतिम तिथि दिनांक 20.12.2019 होगी। नियत अवधि में कार्यप्रणाली न करने पर नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। सम्बन्ध प्रदान कार्यप्रणाली की लक्षण सूचना इस कार्यालय को निवेदनी।


18. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक घेड 111 सीटी परीक्षा-2018 में मानवीय राज्य न्यायालय में विचारणीय विनिम्न पाठिकाओं में परित होने वाले अन्तिम विनंशों के अन्वयनी होगी।

आदर्श आधार सहिता में राज्य चुनाव आयोग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति अनुसार उक्त आदेश जारी किये जा रहे है। नियुक्ति पर दिये गये परन्वधान स्थान पर दिनांक 03.02.2020 तक कार्यप्रणाली करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यप्रणाली नही करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अर्थात् द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचना सही नही पावे जाने पर बिना किसी नोटिस इनकी सेवा समाप्त की जावेगी।

  
जिल्हा शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर  
दिनांक :- 27.01.2020

अन्वयक विविदा/सी/संस्था/2019-20/शाशि0अनुदेशक घेड तृतीय/सी0म-2018/2019/ 993  
प्रतिितिपि - सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर सभाग भरतपुर।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक धौलपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर/बाडी/बरोडी/राजाखेडा/सीपक
6. संबंधित संस्था प्रधान \_\_\_\_\_
7. संबंधित शाशि0 अनुदेशक घेड तृतीय \_\_\_\_\_
8. रक्षित पत्रावली।

  
जिल्हा शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर 27/1/20